परामर्श,

तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा परिषद,

[illegible]

संदर्भ:- [illegible]/2021/0237 **दिनांक: 09/12/2021**

[illegible]

[illegible] तकनीकी शिक्षा [illegible], [illegible] तकनीकी शिक्षा [illegible] के [illegible] तकनीकी शिक्षा परिषद, राजस्थान [illegible] तकनीकी शिक्षा संस्थानों की अनुमोदित [illegible] के उपरान्त तकनीकी शिक्षा परिषद, राजस्थान से सम्बद्ध [illegible] के [illegible] [illegible] सत्र 2021-22 हेतु [illegible] प्रवेश किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपयुक्त प्रवेश संख्या हेतु सम्बद्धता निरंतर प्रदान की जाती है:-

[illegible]		[illegible] सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	वर्तमान उपलब्ध सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	MECHANICAL ENGINEERING	120	120
2	CIVIL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता शर्तें

✓ [illegible]

✓ [illegible] तकनीकी शिक्षा परिषद, [illegible] तकनीकी शिक्षा परिषद, [illegible] [illegible]

✓ राज्य का तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा [illegible] तथा उच्च [illegible], राजस्थान की राजस्थान शिक्षा [illegible] 2000 की धारा [illegible] अनुपालन करना होगा।

✓ संस्थान के अनुमोदित प्रवेश संख्या वर्तमान सत्र [illegible] प्रवेश दिया जायेगा। कोटा के विपरीत यह प्रवेश की स्थिति में [illegible] प्रवेश संख्या के [illegible] ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ राज्य द्वारा [illegible] संस्थान द्वारा [illegible] तकनीकी शिक्षा परिषद, राजस्थान [illegible] 2000 अनुमोदित [illegible] परिषद, [illegible] तकनीकी शिक्षा परिषद, राजस्थान द्वारा [illegible] निर्देश, [illegible] तथा [illegible] का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

✓ [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ कक्षा में उचित पाठ्यक्रम एवं शिक्षण की कक्षा सुचारु ढंग से संचालन की पाठ्यक्रमिक पुस्तिका मुर्गे, स्याही, कलम-कलम, उपकरण, चाक पेन्सिल आदि चार्ट, छात्रावास पुस्तक आदि का नियमित उपयोग करना होगा।

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ छात्रावास नियमों का उल्लंघन न होने पाए अथवा नियमों का उल्लंघन होने पाने की स्थिति में संबंधित छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को सूचित कर कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सागर)

वार्डन

पृष्ठांकन संख्या/Rec [illegible] Date: [illegible]

प्रतिलिपि:-

[illegible] ACHARYA NARENDRA DEV VIDYEPEETH [illegible] ROAD NO [illegible], JAUNPUR

(सुनील कुमार सागर)

प्राचार्य

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या : प्रा0शि0/परिषद सम्बद्धता/2022/7317 अध्यादेश: दिनांक: 30/08/2022

: अध्यादेश ज्ञाप :

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन, नई दिल्ली) द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद मुख्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नयी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं अपने अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4821-ACHARYA BALDEV POLYTECHNIC COLLEGE			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद अधि0 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशोधित विनियमावली-2010 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क लेना सुनिश्चित करेगी। संस्थापना हेतु रूपा 120 का 10% धरोहर, दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रू0- 42000.00/- अंकित एवं एक वर्ष की अवधि पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय अवधि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 22500.00/- धरोहर शुल्क ही प्रवेश पाठ्यक्रम के लाए किया जायेगा। शासन के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का शुल्क के सम्बन्ध में शासन समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस नियामक समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की गणना उसी प्रकार होगी।

✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्र का ही प्रवेश दिया जायेगा।

✓ संस्था को अन्य अपेक्षा पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निदेशालय एवं सम्बद्धता कुलपति अपेक्षा करना होगा।

✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियम/अधिनियम/शासनादेश/निर्देश एवं निदेशालय, प्राविधिक शिक्षा, लखनऊ, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर निर्गत, विनियमों, परिपत्रों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

✓ यदि संस्थान का पी0एम0टी0सी0/पी0सी0डी0ए0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो उस समय में संचालित पाठ्यक्रम पूर्ण होगा और शिक्षक एवं छात्रों की सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में प्रवेश रोका जाने उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा इसका वाद के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश पारित किया जाता है तो समस्त क्षति-पूर्ति संस्थान संस्था को करनी होगी।

✓ संस्थाओं को स्थानीय संबंध परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा परीक्षा एवं प्रश्न हेतु अनुमोदित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रम इसके पी0एम0टी0सी0/पी0सी0डी0ए0 से अनुमोदित प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की प्रोसेसिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की दैनिक/विभिन्न गतिविधि, छात्र-छात्राओं, उपलब्ध, जाति जैसा अन्य पाठ्यक्रम, शुल्क, आवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था की विकास/प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के साथ शैक्षिक सत्रों के अन्तर्गत में समस्त अवशेष राशि सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निदेशालय समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये लेखित, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के उपयोग में प्रयोग किया जाता है और निरीक्षण की उसमें जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य मानकों का उ0प्रा0प्रा0सी0ई0/पी0सी0डी0ए0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एम0आर0 शाह)

सचिव

पृष्ठांकन- प्राविधि/परिषद सम्बद्धता/2022/70118-8455 दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रबन्ध निदेशक ACHARYA BALDEV POLYTECHNIC COLLEGE

(एम0आर0 शाह)

सचिव

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[